न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—55/20

1. दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी 7 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक :—

1. श्री हंसराज देहडू विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :— 17.08.2020

यह प्रार्थना—पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना—पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 7 बी.डी. तहसील खाजूवाला का मु0 नं0 173/36 व 44 की 7.07 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता देवेन्द्रसिंह द्वारा की गई वसीयत से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। उक्त वसीयत दिनांक 11.09.2006 लिखवाते समय प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह के स्थान पर सहवन व लिपिकीय त्रुटि से दिनेश कुमार दत्तक पुत्र धन्नाराम अंकित कर दिया जो गलत है। प्रार्थी ने पिता का नाम दत्तक पुत्र धन्नाराम की जगह देवेन्द्र सिंह दुरस्त करने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible]। साक्ष्य मय शपथपत्र प्रार्थी लिये गये एवं पत्रावली में पेश देवेन्द्र सिंह के जारी वारिस प्रमाण पत्र में जायज वारिसों के शपथ पत्र लिये गये। तहसीलदार खाजूवाला [illegible] 14 बी.डी. से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:27:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी द्वारा साक्ष्य/सबूत के तौर पर मु0नं0 66 चक 2 केएनडी तहसील रावला जिला श्री गंगानगर नकल बैयनामा एवं जमाबंदी पेश की गई साथ ही ग्रा.पं. 8 केवाईडी का देवेन्द्र सिंह का जायज वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम देवेन्द्र सिंह ही लिखा गया है । ग्रा0वि0अ0 14 बी.डी. ने प्रार्थी के पिता का नाम देवेन्द्रसिंह तस्दीक किया है। देवेन्द्र सिंह के जायज वारिसान प्रार्थी की मॉं,भाई, बहनों ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश कर कहा देवेन्द्रसिंह के द्वारा दिनेश कुमार के पक्ष में वसीयत की गई थी जिसमें दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह के स्थान पर सहवन से पिता के नाम के आगे दत्तक पुत्र धन्नाराम गलत अंकित हो गया जबकि वास्तविक नाम दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह ही है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज देवेन्द्र सिंह का राशनकार्ड एवं प्रार्थी के स्वंय के पहचान आईडी आधारकार्ड, परिचय पत्र, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मूल निवास प्रमाण पत्र, विधुत बिल, अन्य शैक्षणिक प्रमाण की फोटाप्रतियां पेश की गई में भी प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्रसिंह दर्ज है। लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय पिता के नाम देवेन्द्र सिंह की जगह दत्तक पुत्र धन्नाराम कर दिया जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जा सकता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी दिनेशकुमार के पिता का नाम दत्तक पुत्र धन्नाराम के स्थान पर देवेन्द्रसिंह नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **17.08.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:27:02 IST
Reason: SelfAttested